

1	विभाग-	समाज कल्याण विभाग।
2	योजना का नाम -	“अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना”
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी-	समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत आवेदक की आय रू0 46080.00 एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460.00 से अधिक न हो एवं पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष हो, को जाँचोंपरान्त पात्र पाये जाने की स्थिति में रू0 20,000-00 (रूपया बीस हजार मात्र) एक मुश्त दिये जाने का प्राविधान है।
4	पात्रता की अर्हता-	<p>(a) वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।</p> <p>(b) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा आन-लाइन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक अंकित करना अनिवार्य होगा।</p> <p>(c) विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।</p> <p>(d) पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी।</p> <p>(e) एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।</p>
5	आवेदन की प्रक्रिया-	पात्र आवेदकों को समाज कल्याण विभाग वेबासाईट- swd.up.nic.in पर लॉगिन करके ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
6	लिंक वैब साईड	swd.up.nic.in
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।